8. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रमः–

लेखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम निम्नरूपेण होगाः–

प्रारंभिक परीक्षा :–संसूचित रिक्तियों से 10 गुणक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। **प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी तथा इसमें दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 100 अंको का होगा । इसका पाठ्यक्रम निम्नांकित है:–**

(A) General Stdudies Paper- I
Time 3 Hours

(i) History of India and Indian National Movement
(ii) India and World Geography
(iii) Indian Polity and Economy
(iv) History, Geography, Economics and Culture of Jharkhand

(B) General Stdudies Paper- II
Time 3 Hours

(i) General Science
(ii) General Mental ability
(iii) Current events of State, National and International Importance
(iv) Basic Numericals and Quantitative Aptitude

प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की 10 गुणा संख्या में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा :–

मुख्य परीक्षा **विषयनिष्ठ** होगी तथा इसमें **तीन पत्र** होंगे। इनके विषय एवं पाठ्यक्रम के विवरण निम्न प्रकार है :–

I. प्रथम पत्र– समय : 3 घंटा, कुल अंक–100

(i) सामान्य हिन्दी--50

(a) निबंध	–	15 अंक
(b) व्याकरण	—	15 अंक
(c) अनुच्छेद आधारित बोधात्मक प्रश्न	—	10 अंक
(d) संक्षेपण	—	10 अंक

(ii) सामान्य अंग्रेजी–50 अंक

(a) Short Essay (400 words)	-	15 Marks
(b) Grammar	-	15 Marks
(c) Comprehension Passage	-	10 Marks
(d) Business Letter	-	10 Marks

मुख्य परीक्षा का प्रथम--पत्र अनिवार्य होगा तथा इसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के ही अन्य पत्रों की जाँच होगी, परन्तु प्रथम पत्र के प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

II. द्वितीय पत्र –

सामान्य अध्ययन, समय : 3 घंटा, कुल अंक–100

(a) General Principles of Financial Management in State/Public Sector
(b). Social Problems of India with Special reference to Jharkhand
(c) Economic Problems of India with Special focus to Jharkhand in the areas of Agriculture/Industry/Social and Human resource Development (Health, Education etc.)

III.तृतीय पत्र –

निम्नलिखित चार विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(a) **वाणिज्यशास्त्र एवं लेखा विधि (b) अर्थशास्त्र (c) गणित अथवा (d) सांख्यिकी**
प्रत्येक विषय दो पत्रों का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 200 अंक तथा समय 3 घंटे निर्धारित होगा।

तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

9. साक्षात्कार:–लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग होने के लिए कोटिवार रिक्तियों की तीन गुणा संख्या में बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 100 अंकों का पूर्णांक होगा।

10. न्यूनतम अर्हत्तांक:– सभी कोटि के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.1.2012 एवं आदिम जनजाति के लिए संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 के आधार पर निर्धारित कया जायेगा।

11.आरक्षण का लाभ :–

I. प्रारंभिक परीक्षा के **Online** आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा कोटि का दावा अंकित करना अनिवार्य होगा ।

II. आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6763 दिनांक–05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

III. अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–

(i) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति :–

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि** के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में **प्रमाण पत्र** झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ii) पिछड़ा वर्ग-II एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I :–

झारखण्ड राज्य के **पिछड़ा वर्ग-II** एवं **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iv)**खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–